(

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 5710481 / पटना, दिनांक :- 04/06/26

ग्रा०वि०-R-503/26/2026-Section-14-RDD-RDD

श्री कृष्णा राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया (पश्चिम चम्पारण) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड (सीतामढ़ी) के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-450/अप०शा० दिनांक-16.03.2026 द्वारा 79,56,640/- (उन्नासी लाख छप्पन हजार छः सौ चालीस) रूपये के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप प्रतिवेदित है । उक्त आरोप में श्री कृष्णा राम के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 029/2026 दिनांक-05.03.2026 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है ।

2. श्री कृष्णा राम के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कृष्णा राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल एवं गंभीर प्रकृति के हैं ।

3. अतः श्री कृष्णा राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कृष्णा राम का मुख्यालय- उप विकास आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है ।

4. निलम्बन की अवधि में श्री कृष्णा राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 5710481 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 04/06/26

स्पीड पोस्ट/ ई मेल

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/ श्री कृष्णा राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया (पश्चिम चम्पारण) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड (सीतामढ़ी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:\Section-014\Year-2025-26\Office Order-2025-26\Notification(2026)-17 (Nelambit).doc

(

ज्ञापांक :- 5710481/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04/06/26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 5710481/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04/06/26

प्रतिलिपि:-जिल पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पत्र की एक अतिरिक्त प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि पत्र का तामिला श्री कृष्णा राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया (पश्चिम चम्पारण) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड (सीतामढ़ी) को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विशेष कार्य पदाधिकारी।